(79)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–844/311 रायपुर, दिनांक 09/02/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय: – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Rehabilitation & Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road area 10.465 ha reg.**
पंजीयन क्रमांक – **FP/ CG/ROAD/43587/2019**

संदर्भ: – छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–27/ 2022/ 10–2 दिनांक 22.12.2022 एवं पत्र दिनांक 01.02.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र दिनांक 22.12.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त प्रेक्षा अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :–

बि क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
1	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक 1 में आवेदित वन क्षेत्र के विवरण में धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम ग्वारघुटरी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 355 के रकबा 0.311 हे. को आवेदित दर्शाया गया है जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 2 में उपरोक्त आवेदित रकबा 0.311 हे. को ग्राम गवारघुट्टी का भाग दर्शाया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 259 पंचायत का कार्यवाही विवरण एवं पृष्ठ कमांक 291 कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि प्रभावित ग्राम ग्वारघुटरी के कक्ष कमांक पी. एफ. 355 रकबा 0.311 हे. है। अतः धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के ग्राम ग्वारघुटरी के कक्ष क्रमांक 355 रकबा 0.311 हे. मान्य किया जावे।
2	बिन्दु क्रमांक 32 में आवेदित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में लेमरू हाथी रिजर्व की उपस्थिति दर्शायी गई है, किन्तु हाथियों के संरक्षण तथा आवागमन हेतु नियमानुसार प्रधान मुख्य वन सरक्षक (वन्यप्राणी) की टीप/ अभिमत नहीं लिया गया है। इसके विपरीत प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 315 में वन मंडलाधिकारी द्वारा यह लेख किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र के 10 कि.मी.	प्रस्ताव के भाग–2 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे स्पष्ट है कि आम नागरिकों एवं अन्य सभी को आवागमन सुविधा हो इसको ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क निर्माण कार्य की अनुशंसा निम्न शर्तों पर की गई है :– 1. जहां मिट्टी क्षरण की संभावना है वहां संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा

बि क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
	परिधि में किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी प्रभावित नहीं हो रहा है। इस कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की टीप / अभिमत की आवश्यकता नहीं है।	रिटेनिंग वाल (Retaininig Wall) बनाया जावे। 2. चूंकि उक्त सड़क लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत आता है वन्य हाथी एवं अन्य वन्यप्राणी द्वारा सड़क को पार करने में सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए सड़क का Embankment को संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार बनाया जावे। उक्त सड़क की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आम जनता द्वारा मान. मुख्यमंत्री जी के भेंट–मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उक्त सड़क निर्माण शीघ्र किये जाने की मांग पर मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क के उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये है। चूंकि मार्ग पूर्व निर्मित है एवं केवल उन्नयन तथा पुर्ननिर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं हाथी विचरण को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यक उपाय का प्रावधान किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के पत्र क्र/व.प्रा./प्रबंध–608/628 दिनांक 08.02.2023 द्वारा छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित टीप/अभिमत की छायाप्रति संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–844/ 312

रायपुर, दिनांक 09/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

– **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
– **वन मंडलाधिकारी**, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
– **Project Manager**, CSRSP PWD DB Project C/o Chief Engineer PWD Bilaspur Zone Campus Infront of Civil Court Bilaspur Chhattisgarh.

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

(81)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, अरण्य भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर

ईमेल – cwlwcg@gmail.com Ph. 0771-2512880

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–608/628 रायपुर दिनांक 8/02/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest Purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilition - Upgrading of Dharamjaigarh Kapu road, area 10-465 ha.**

संदर्भ :– छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर का पृ.पत्र कमांक एफ 5–27/2022/10–2 दिनांक 24.12.2022

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि कापू से धरमजयगढ़ मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कुल वन क्षेत्र 10.465 हे. वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग के संदर्भ में लेख है कि धमजयगढ़ से कापू मार्ग अधिकतर रिहायसी क्षेत्र से गुजर रहा है। उक्त मार्ग में हाथी कभी –कभी विचरण करते हैं, हाथियों एवं अन्य वन्प्राणियों के लिए सड़क को क्रासिंग करने हेतु असुविधा न हो इस प्रकार के सड़क Embakment बनाने एवं क्रासिंग पाईट पर साईन बोर्ड लगाने हेतु आवेदक संस्थान को निर्देशित किया गया है। जिससे वन्य प्राणी हाथी एवं अन्य वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की आवागमन या रहवास क्षेत्र बाधित नहीं होगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

पृ.क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–608/629 रायपुर दिनांक 8/02/2023

प्रतिलिपि –

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अरण्य भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर